भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *204
06.08.2026 को उत्तर के लिए

वन संरक्षण तथा उसका प्रभाव

*204. श्रीमती संगीता यादव :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वनों एवं वृक्षों के आवरण में वृद्धि करके 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाई-ऑक्साइड के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन अवशोषक (कार्बन सिंक) सृजित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान वनीकरण, पारिस्थितिक पुनरुद्धार और भू-दृश्य आधारित संरक्षण संबंधी कार्यक्रमों के माध्यम से क्षरित वनों की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने वनीकरण और वनों के पुनरुद्धार संबंधी कार्यकलापों की समय पर निगरानी करने के लिए सुदूर संवेदी और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस)-आधारित प्लेटफॉर्म सहित कोई प्रौद्योगिकी-सक्षम निगरानी प्रणाली विकसित की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

‘वन संरक्षण तथा उसका प्रभाव’ के संबंध में दिनांक 06.08.2026 को उत्तर के लिए श्रीमती संगीता यादव द्वारा पूछे गए राज्यसभा तारांकित प्रश्न सं. *204 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, जो कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, प्रत्येक दो वर्ष में देश के वन कार्बन भंडार सहित वन संसाधनों का आकलन करता है और इसके निष्कर्षों को भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित करता है। यह आकलन सुदूर संवेदन तकनीक पर आधारित एक व्यापक मानचित्रण की प्रक्रिया है, जो गहन जमीनी सत्यापन और राष्ट्रीय वन सूची से प्राप्त क्षेत्र आंकड़ों द्वारा समर्थित है।

विगत दशक के दौरान देश के वन और वृक्ष आवरण में लगातार वृद्धि हुई है। आईएसएफआर 2013 की तुलना में आईएसएफआर 2023 में वन और वृक्ष आवरण में 37,378 वर्ग किलोमीटर की निवल वृद्धि दर्ज की गई।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेन्शन (यूएनएफ़सीसीसी) को प्रस्तुत भारत की पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट में प्रतिवेदित वर्ष 2022 की ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) सूची के अनुसार, भारत ने वर्ष 2005 को आधार वर्ष मानकर वर्ष 2030 तक वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि के माध्यम से अतिरिक्त 2.5-3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2022 तक वन और वृक्ष आवरण से 2.44 बिलियन टन कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और पहलों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए वृक्षारोपण, पारिस्थितिकीय पुनर्बहाली और भू-स्थल-आधारित संरक्षण संबंधी कार्यकलापों के माध्यम से क्षतिग्रस्त वनों की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। इनमें जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (ग्रीन इंडिया मिशन), प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा), एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास (आईडीडब्ल्यूएच), वनाग्नि निवारण एवं प्रबंधन (एफएफपीएम) योजना, तटीय पर्यावास एवं मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी), नगर वन योजना एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित अन्य वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय बहाली संबंधी कार्यक्रम शामिल हैं। देश के वन और वृक्ष आवरण, जिनमें जिला स्तर तक के परिवर्तन भी शामिल हैं, को एफएसआई द्वारा सुदूर संवेदन तकनीकों, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के साथ उपग्रह छवियों और भू-सत्यापन के आधार पर आईएसएफआर में प्रकाशित किया जाता है।

इसके अलावा, प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिज्ञात किए गए वृक्षारोपण स्थलों के भू-स्थानिक परिधियों को संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली उपग्रह-छवियों के भू-स्थानिक विश्लेषण का उपयोग करके ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किए गए वृक्षारोपण स्थलों की निगरानी की जाती है।
